सिकल सेल खत्म करने में हर व्यक्ति का सहयोग जरूरी

प्रयोग शाला चिकित्सा शोध में क्रांति का सूत्रपात, राज्यपाल द्वारा बीएमएचआरसी में डीएनए सिक्वेंसर मशीन लोकार्पित

भोपाल(काप्र)।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सिकल सेल खत्म करने में हर व्यक्ति का सहयोग जरूरी है। सरकार और समाज की सहभागिता से ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन होगा। सिकल सेल की जांच, उपचार, औषधि एवं जेनेटिक कार्ड वितरण में सरकार अच्छा कार्य कर रही है। समाज को भी आगे आना होगा। वर्ष 2047 में कोई भी बच्चा सिकल सेल रोग के साथ जन्म नहीं ले।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति को मेरा भी योगदान हो, इस भाव के साथ सिकल सेल उन्मूलन में जुड़ना होगा। उन्होंने बी.एम.एच.आर.सी. के सिकल सेल उन्मूलन प्रयासों में डीएनए सिक्वेंसर मशीन प्रयोग शाला की स्थापना को सकारात्मक पहल बताते हुए सराहना की है। राज्यपाल भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र में आयोजित सिकल सेल पर केन्द्रित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। संस्थान द्वारा संगोष्ठी का आयोजन आनुवंशिक विश्लेषण प्रयोगशाला के लोकार्पण अवसर पर किया गया था। इससे पूर्व श्री पटेल ने आनुवंशिक विश्लेषण प्रयोगशाला का लोकार्पण और अवलोकन किया। रोगियों को किट प्रदान की। बीएमएचआरसी के सक्षमता केन्द्र से दिग्दर्शिका के प्रकाशन का लोकार्पण किया। श्री पटेल ने कहा कि सिकल सेल को समाप्त करने में हर व्यक्ति सहयोग कर सकता है। प्रयास करना होगा कि सिकल सेल रोगियों का आपस में विवाह नहीं हो, क्योंकि उनके बच्चे शत प्रतिशत सिकल सेल रोगी होगें। ऐसे प्रयास भी किए जाए कि वाहक युगल भी आपस में विवाह नहीं करें। वाहक दंपतियों के प्रत्येक गर्भधारण में संतान के रोगी होने की सम्भावना 25 प्रतिशत होगी। विवाह होने पर गर्भावस्था मे प्रि-नेटल जांच अवश्य कराए। उन्होंने कहा कि यह भी बताना उतना ही जरूरी है कि सामान्य के साथ रोगी अथवा वाहक के विवाह में कोई बाधा नहीं है। इसी तरह सिकल सेल रोगियों, वाहकों को स्वस्थ जीवनशैली के लिए खान-पान एवं दिनचर्या संबंधी सावधानियों के बारे में भी सचेत करने मे समाज का सक्रिय सहयोग जरूरी है।

राज्यपाल ने कहा कि सिकल सेल आनुवंशिक बीमारी है। इसलिए उन्मूलन जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमारे वैज्ञानिकों ने जीन स्तर के विश्लेषण के द्वारा रोग की जड़ तक पहुँचकर रोग उन्मूलन के लिए कार्य करने का अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध कराया है। प्रयोग शाला सिकल सेल रोग की विलक्षणता से उत्पन्न चुनौतियों और जटिलताओं को समझने और समाधान खोजने में सहायक होगी। इसकी विशेषताओं से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मशीन सिकल सेल रोग की गम्भीरता के पूर्वानुमान और व्यक्तिगत चिकित्सा शोध के क्षेत्र में नई क्रांति का सूत्रपात करेगी। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि प्रदेश के सभी विभागीय छात्रावासों में छात्र-छात्राओं के प्रवेश अवसर पर सिकल सेल की जांच करायी जाएगी। उन्होने कहा कि श्री पटेल पहले संवैधानिक मुखिया है जिन्होंने प्रदेश के कोने-कोने तक पहुँच कर वंचितो के दु:ख दर्द को समझा है। उनके नेतृत्व में प्रदेश के सिकल सेल रोग प्रभावितों के जीवन मे बड़ा सुधार हुआ है। प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन प्रयासों में देश में अग्रणी है, क्योंकि हमारे श्री पटेल है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के सिकल सेल उन्मूलन महायज्ञ में जनजातीय कार्य विभाग ने भोपाल और इंदौर में 382 करोड़ रूपए के विशेषज्ञ संस्थानों के निर्माण के रूप में आहूति दी है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक डॉ. सलोनी सिडाना ने बताया कि प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन कार्य होलोस्टिक दृष्टिकोण के साथ करने वाला देश का अग्रणी राज्य है। पहला राज्य है जहाँ दो से 20 वर्ष की आयु समूह का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। इंदौर, भोपाल में विशेषज्ञ शोध अनुसंधान के केन्द्र है। मिशन द्वारा सिकल सेल को खत्म करने के लिए तेज गति से स्क्रीनिंग और जैनेटिक कार्ड वितरण किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के मिशन के तहत लक्ष्यों की पूर्ति में प्रदेश अग्रणी है। अभी तक एक करोड़ से अधिक की स्क्रीनिंग हो चुकी है। जांच में 2 लाख वाहक और 28 हजार से अधिक रोगी चिन्हित हुए। एलोपैथी के साथ ही आयुष, चिकित्सा के द्वारा रोग उपचार और प्रबंधन व्यापक स्तर पर हो रहा है। जनजातीय समुदाय ने जेनेटिक कार्ड मिलाकर विवाह संबंध करना शुरू कर दिया है। संगोष्ठी में आभासी माध्यम से जुड़े आई.सी.एम.आर. के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मध्य प्रदेश को सिकल से उन्मूलन प्रयासों में देश में अग्रणी बताया। राज्य के मिशन क्रियान्वयन, प्रबंधन और प्रभावित के जीवन को बेहतर बनाने के एकीकृत प्रयास अनुकरणीय है। उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा आरगन डैमेज और दर्दकारी समस्याओं में कमी के अनुसंधान और क्लिनिकल टेस्ट के प्रयास हो रहे है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा रूधिर विज्ञान संस्थान मुंबई की डॉ. मनीषा मडकईकर ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। संगोष्ठी के स्वरूप पर प्रकाश प्रभारी निदेशक बी.एम.एच.आर.सी डॉ. मनीषा श्रीवास्तव ने स्वागत उद्बोधन में डाला। सिकल सेल रोगी और वाहकों ने अपने अनुभव मंच से साझा किए। आभार प्रदर्शन संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनुराग यादव ने किया।

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में वनों की भूमिका को लेकर आज होगा मंथन

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय वन-पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव मध्यप्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में वन पुनर्स्थापन, जलवायु परिवर्तन और समुदाय-आधारित आजीविका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शुक्रवार को दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री यादव की मौजूदगी में प्रारंभ होगी 'वन संरक्षण और जलवायु-समर्थ आजीविका' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला

नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में आयोजित होने वाली कार्यशाला में विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों में वनों की भूमिका पर मंथन होगा। कार्यशाला में प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह स्वागत उद्बोधन देंगे। दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की रूपरेखा डॉ. राहुल मूँगीकर प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर जनजातीय समुदाय और प्राकृतिक संरक्षण पर केंद्रित ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति भी दी जाएगी। राष्ट्रीय कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में वन संरक्षण की वर्तमान कानूनी व्यवस्थाएं, उनकी सीमाएं और समाधान, जैव विविधता संशोधन अधिनियम-2023, सामुदायिक वन अधिकार, पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण और वन पुनर्स्थापन जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। बैंगलुरू से आ रहे प्रो. रमेश विशेषज्ञ वक्तव्य भी देंगे। कार्यशाला में डॉ. योगेश गोखले, डॉ. राजेन्द्र दहातोंडे आदि वक्ता विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल राष्ट्रीय कार्य शाला के समापन-सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। पूर्व राष्ट्रीय जनजातीय आयोग अध्यक्ष हर्ष चौहान समापन वक्तव्य देंगे। कार्यशाला में वनीकरण, जलवायु संवेदनशीलता और वनवासी समुदायों की समावेशी भागीदारी पर केन्द्रित डॉक्युमेंट्री फिल्मों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में वनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कार्यशाला वनों, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों और जनजातीय आजीविका को केंद्र में रखते हुए एक सतत और न्यायसंगत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

केन्द्रीय मंत्री अमित शाह के निर्देशों के परिपालन में उच्च स्तरीय बैठक

केन्द्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार रूपरेखा करें निर्धारितः सारंग

भोपाल(काप्र)। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में दिये गये निर्देशों के परिपालन में सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंत्रालय में गुरूवार को उच्च स्तरीय बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार रूपरेखा निर्धारित कर कार्य-योजना बनाई जाये। बैठक में अपर मुख्य सचिव सहकारिता अशोक वर्णवाल भी उपस्थित थे। श्री सारंग ने कहा कि कमेटी गठित कर सहकारिता एक्ट और गाइडलाइन का अध्ययन किया जाये। यह कमेटी अपनी अनुशंसा उच्च स्तर पर प्रस्तुत करेगी। बैठक में कमेटी के सदस्यों में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक मनोज पुष्प, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक मनोज गुप्ता, अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य पी.एस. तिवारी, संयुक्त आयुक्त के.के. द्विवेदी और एच.एस.बघेला को शामिल किया गया है। श्री सारंग ने को-ऑपरेटिव पब्लिक प्रायवेट पाटनरशिप (सीपीपीपी) मॉडल पर एक वर्कशॉप आयोजित करने के निर्देश भी दिये। वर्कशॉप में देशभर के सहकारिता से जुड़ें अधिकारियों को सीपीपीपी मॉडल का प्रजेटेंशन दिया जायेगा। आगामी 20 जून को यह प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिये गये। श्री सारंग ने सीपीपीपी मॉडल के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। सीपीपीपी मॉडल के तहत प्रदेश में सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह मॉडल न केवल आर्थिक विकास को गति देगा बल्कि रोजगार के नये अवसर सृजित करेगा। श्री सारंग ने कहा कि प्रदेश में अभी 10 हजार प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां है। सभी जिला अधिकारियों को इसको विस्तार करते हुए 26 हजार का लक्ष्य देकर तत्परतापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिये जाये। पैक्स का विस्तार टाइम लिमिट में करें। उन्होंने कहा कि 637 नई समितियों के गठन की कार्ययोजना बनाकर अंतिम रूप दें। उन्होंने कहा कि जहां-जहां नई सोसायटियाँ गठित की जाना है वहां लक्ष्य तय कर त्वरित गति से कार्य किया जाये। उन्होंने नवाचार के संबंध में जेआर और डीआर की वीडियो क्रॉन्फेसिंग कर आवश्यक मार्गदर्शन दिये जाने के भी निर्देश दिये। बैठक में समितियों के चुनाव संबंध में भी चर्चा की गई।

बैठक में बताया गया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उच्च स्तर से निर्णय के बाद सहकारिता क्षेत्र में निवेशकर्ताओं को सभी आवश्यक सुविधाएँ एक स्थान पर सुनिश्चित करने के लिये निवेश विंग आई डब्ल्यू बनायी गई है। इसमें अम्बरीष वैद्य को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक मनोज गुप्ता और प्रबंध संचालक बीज संघ महेन्द्र दीक्षित समन्वय अधिकारी होंगे। निवेश विंग में मुख्य संयोजक सुश्री गुंजन राय और सहायक समन्वयक श्रीमती प्रियंका शाक्य रहेगी। बैठक में प्रबंध संचालक विपणन संघ आलोक कुमार सिंह, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक मनोज पुष्प, उप सचिव मनोज सिन्हा, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक मनोज गुप्ता, प्रबंध संचालक सहकारी संघ ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक बीज संघ महेन्द्र दीक्षित और संयुक्त आयुक्त अम्बरीष वैद्य उपस्थित थे।

श्रीमती गौर ने किया क्षेत्र का औचक निरीक्षण, जनसमस्याओं का किया त्वरित निराकरण

भोपाल(काप्र)।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने क्षेत्र के विकास के लिए अधिकारियों से रोडमैप बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी कार्य में देरी न हो। राज्यमंत्री श्रीमती गौर लगातार क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर रही हैं और रहवासियों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर रही हैं।

श्रीमती गौर ने नारायण नगर नर्मदापुरम रोड के श्रीदुर्गा मंदिर से भ्रमण की शुरुआत की। जहां रहवासियों ने पानी की समस्या से उन्हें अवगत कराया। इसपर राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने अधिकारियों को सम्पवेल को जल्द से जल्द शुरु करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पानी सप्लाई की समय सीमा तय करें, जिससे आम लोगों को परेशानी न हो। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने नारायण नगर की सीवेज लाइन को अमृत फेज 2 में शामिल कर इंटरनल नेटवर्क का रोडमैप तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। श्रीमती गौर ने बावड़ियाकलां, आमनगर, डीके कॉटेज का भी भ्रमण किया। यहां के रहवासियों ने बताया कि उनके क्षेत्र की संजीवनी अस्पताल भवन के निर्माण कार्य को ठेकेदार ने लंबे समय से काम रोक कर रखा है। इसपर राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट घोषित कर किसी अन्य एजेंसी से कार्य को पूरा कराने के लिए कहा। उन्होंने क्षेत्र में हाईमास्क और पार्क का निर्माण भी कराने के निर्देश भी दिए। ऋषि वैली, रोहित नगर के रहवासियों ने अवैध निर्माण के चलते बंद हो चुके नाले की समस्या से अवगत कराया। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने बिल्डर को नोटिस देकर अवैध निर्माण को रोकने के निर्देश दिए। सलैया मिसरोद में फॉरच्यून लैंडमार्क, आईबीडी कालोनी और आकृति ग्रीन के लोगों ने पानी, बिजली और कचरे की समस्या से अवगत कराया। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि डोर-टू-डोर कचरा उठाने की व्यवस्था करें।

प्रदेश के सभी संभागों में होंगे किसान मेलेः कंषाना

भोपाल(काप्र)। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी संभागों में किसान मेला आयोजित करेगी। उज्जैन संभाग में 3 मई को मंदसौर में पहला किसान मेला आयोजित किया जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के सभी संभागों में किसान मेलों का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इन मेलों में किसानों को कृषि, खाद्य प्र-संस्करण, उद्यानिकी और पशुपालन से संबंधित नवीनतम जानकारी दी जायेगी। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ किसानों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। मेले में प्रदर्शनी के माध्यम से भी किसानों को कृषि तकनीकों और कृषि उपकरणों की जानकारी दी जायेगी। श्री कंषाना ने बताया कि अक्टूबर में एक राज्य स्तरीय किसान मेला भी आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक साल में 10 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है, जिससे किसानों को ऊर्जादाता बनने में मदद मिलेगी। सरकार ने इसके लिए अभियान शुरू कर किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। श्री कंषाना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप राज्य सरकार ने गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी कल्याण के लिए मिशन शुरू कर दिया है। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन% के तहत अब कृषि से सम्बद्ध विभागों की योजनाएं एक मंच पर समन्वित रूप से क्रियान्वित होंगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि आधारित राज्य है और इस क्षेत्र में यहां अपार संभावनाएं हैं। किसानों की आय, कृषि उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन में वृद्धि के साथ खाद्य प्र-संस्करण और कृषि से उत्पादित कच्चे माल पर आधारित औद्योगिक इकाई स्थापित करने जैसे हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं।

मेरा ईकेवायसी ऐप से राशन के पात्र हितग्राही खुद कर सकते हैं ई-केवायसी : राजपूत

भोपाल(काप्र)। प्रदेश में पीडीएस अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त करने वाले सभी हितग्राहियों की ई-केवायसी कराने के लिए 9 से 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मोबाईल फोन पर ई-केवायसी की सुविधा भी गुरूवार से उपलब्ध करायी जा रही है। इसके लिए मेरा ई-केवायसी ऐप प्रदेश में लांच किया गया है। इस ऐप के माध्यम से राशन लेने वाले वृद्ध, दिव्यांग एवं बच्चों सहित कोई भी हितग्राही किसी भी एन्ड्राइड मोबाईल फोन से अपना और अपने परिजन का आधार नम्बर ओटीपी दर्ज करके घर बैठे ई-केवायसी कर सकते हैं। श्री राजपूत ने बताया है कि ऐप के साथ ही राशन लेने वाले हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर जिले में गांव और वार्ड स्तर पर ई-केवायसी कराने के लिए शिविर लगाये जा रहे हैं। शिविर में उचित मूल्य दुकान के विक्रेता, वार्ड प्रभारी, ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक के दल द्वारा पीओएस मशीन को शिविर में ले जाकर हितग्राहियों के अंगूठे लगाकर उनकी ई-केवायसी की जा रही है। श्री राजपूत ने प्रदेश के सभी राशन लेने वाले हितग्राही, जिन्होने अभी तक ई-केवायसी नहीं करवाई है, उन सभी से अपील की है कि अभियान के तहत मोबाईल फोन अथवा पीओएस मशीन से अतिशीघ्र अपनी और अपने परिवारजनों की शत-प्रतिशत ई-केवायसी पूर्ण करायें।

स्पेशल खबर *जीसीसी, सेमी-कन्डक्टर्स, ड्रोन और एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी के लिए जारी होंगी गाइडलाइन्स...*

इंदौर में 27 अप्रैल को होगी एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव-2025

भोपाल(काप्र)।

एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन इंदौर में 27 अप्रैल को होगा। इस कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों, नीति निर्माताओं और तकनीकी क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञ शामिल होंगे।

कॉन्क्लेव में मध्यप्रदेश सरकार की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी, सेमी-कंडक्टर्स पॉलिसी, ड्रोन पॉलिसी और एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (एवीजीसी-एक्सआर) पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए गाइडलाइन जारी की जाएंगीं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि ये गाइडलाइन्स सरकार और निवेशकों के बीच एक पारदर्शी सेतु सिद्ध हों। गाइडलान्स में पात्रता मापदंड, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक प्रपत्र, मानक संचालन प्रक्रिया, समय-सीमाएँ और अपील प्रणाली जैसे सभी पहलुओं को विस्तारपूर्वक समझाया गया है। ये गाइलाइन्स प्रशासनिक दस्तावेज मात्र नहीं, बल्कि नीतियों को धरातल पर साकार करने की स्पष्ट रूपरेखा हैं। राज्य सरकार ने नीतियों की घोषणा से उन पर अमल के लिये गाइडलाइन्स तय करने की प्रक्रिया को रिकॉर्ड दो महीनों में पूरा कर लिया है। इन 4 नीतियों की घोषणा 24 फरवरी 2025 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में की गई थी। एमपी इन्वेस्टमेंट पोर्टल से यह पूरी प्रक्रिया पेपरलेस, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। पोर्टल में रियल-टाइम डैशबोर्ड, ऑटोमेटेड वर्कफ़्लोज़ और एकीकृत सिंगल-विंडो सिस्टम का समावेश किया गया है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) नीति के तहत मध्यप्रदेश को डेटा एनालिसिस, साइबर सुरक्षा, अनुपालन, एआई रिसर्च और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक कंपनियों के लिए पसंदीदा स्थल बनाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें लेवल-1 और एडवांस्ड जीसीसी के लिए पूंजी निवेश प्रोत्साहन, वेतन सब्सिडी, किराया प्रतिपूर्ति और ब्याज सहायता जैसे प्रावधान होंगे। साथ ही एआई और सायबर सुरक्षा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिये विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। सेमीकंडक्टर नीति के अंतर्गत फेबलेस कंपनियों और विनिर्माण इकाइयों दोनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें डिज़ाइन प्रतिपूर्ति, आधारभूत संरचना सहायता, ईपीएफ प्रोत्साहन और चिप टेप-आउट अनुदान शामिल हैं। यह नीति विशेष रूप से भारत सरकार की डीएलआई योजना के अंतर्गत आने वाली दूसरी कंपनियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। बड़े प्रस्तावों की तेज़ी से स्वीकृति के लिये कैबिनेट कमेटी को अधिकृत किया गया है। ड्रोन नीति में ड्रोन निर्माण, पायलट प्रशिक्षण, सेवा वितरण और परीक्षण अवसंरचना को संस्थागत समर्थन दिया जाएगा। स्टार्ट-अप्स, निर्माता और ड्रोन-एस-ए-सर्विस प्रदाताओं को सीड-फंडिंग, नियामक समर्थन और कौशल विकास प्रोत्साहनों संबंधित लाभ दिये जाएंगे। कृषि, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में ड्रोन के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित कर मध्यप्रदेश देश का अग्रणी यूएवी (मानव रहित विमान) नवाचार केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है।

एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (एवीजीसी-एक्सआर) क्षेत्र को राज्य की आर्थिक नीति में सम्मिलित करते हुए, मध्यप्रदेश सरकार इस नवाचारी क्षेत्र को बौद्धिक संपदा सृजन, अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँच, प्रतिभा विकास और स्टूडियो अवसंरचना की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपकरण खरीद, को-वर्किंग स्पेस और स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। यह नीति राज्य को भारत की मेटावर्स-रेडी क्रियेटिव औद्योगिक शक्ति बनाने में सहायक होगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी दिशा निर्देश एमपी इन्वेस्टमेंट पोर्टल में पूर्णत: एकीकृत हों, जहाँ एकीकृत विभागीय समन्वय, बिना पूछताछ वाली प्रक्रिया, रीयल-टाइम ट्रैकिंग और प्रोत्साहन वितरण की सुविधा होगी। यह मॉडल स्पष्ट समय सीमा, पात्रता मापदंड और प्रक्रियात्मक मानचित्र के माध्यम से नीति से निष्पादन की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1,भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, www.naiduniaonline.com